

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/सांवि०पदा०-129/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० मधुलिका, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (पैथोलॉजिस्ट), अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर, पटना को विदेश (आयरलैंड) जाने हेतु दिनांक-31.08.2023 से 06.09.2023 तक कुल-07 (सात) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को विभागीय पत्रांक-588(3) दिनांक-31.08.2023 द्वारा प्रदत्त अनुमति, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1646(25) दिनांक-13.09.2024 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/सांवि०पदा०-129/2024- 819/2 पटना, दिनांक 23/5 /2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दानापुर/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० मधुलिका, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (पैथोलॉजिस्ट), अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।